Compensation to Bihari Victims of Terrorist Violence in Punjab

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, इस विशेष उल्लेख के जरिए मैं आपका ध्यान अभी पंजाब में जो बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है, जिसमें तेरह मजदूर मारे गये हैं, टेरेरिस्टों ने उनकी हत्या कर दी है, उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

बिहार से हर साल डेढ़-दो लाख मजदूर उस क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं और यह पहली ही बार नहीं है कि उनकी हत्या की गई है, इसके पहले भी की गई है।

एक समस्या यह उठती है कि जो लोग मारे जाते हैं, उनका कोई नाम, पता, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए न तो उनको हर्जाने की रकम दी जाती है, न उनके परिवार वालों को कोई पेंशन वगैरह पहुंच पाती है। इसलिए इस संबंध में मैं यह चाहता हूं कि मौजूदा सरकार यह जो बिहार से खेत मजदूर आते हैं काम करने के लिए उनको रेगुलेट करे। रेगुलेशन से हमारा मतलब यह है कि वे जहां जाएं वहां उनका रजिस्ट्रेशन रहे, नाम, पता रहे कि किस मालिक के यहां वे काम करते हैं। इस काम को किया जाए और जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां आतंकवादियों का उपद्रव बहुत ज्यादा है वहां रोक लगा दी जाए कि ये गरीब लोग नहीं जा सकें और इस तरह कीड़े-मकोड़े की तरह वे मारे नहीं जायें। यह मेरा मतलब है कि इस ढंग से इसको रेगुलेट किया जाए।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको जो मुआवजे की रकम मिलती है वह बहुत कम है। मात्र 20 हजार रुपये मिलती है। अपने देश में कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हम इस तरह के हर्जाने की रकम कितनी दें। अगर कोई रायट में मारा जाता है तो हम कहीं 50 हजार देते हैं और कहीं एक लाख देते हैं और इसी तरह दूसरी घटनाओं के लिए भी हम तय कर दें, लेकिन जो खेत मजदूर मारे जाते हैं उनके परिवार को हम मात्र 20 हजार रुपये देते हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मुआवजे की रकम को एक स्टैंडर्डाइज किया जाए। कम से कम 50 हजार रुपये यह किया जाए और बिहारी खेत मजदूरों के साथ यह उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. चन्द्रेश पी. ठाकुर) : मिश्रा जी, क्या आप यह कह रहे हैं कि बिहार के मजदूर ही मारे जाते हैं और उनको मुआवजा और जगह के मरे लोगों से कम दिया जाता है?

श्री चतुरानन मिश्र : हां, यह हम इसलिए कहना चाहते हैं कि रायट्स में या दूसरी जगह में या दिल्ली में जो लोग मारे गए हैं या दूसरी जगह मारे गए हैं उनको तो हम 50 हजार या एक लाख रुपया देते हैं, बिहार में अभी भागलपुर में एक लाख रुपये की दर से दिया गया लेकिन यह जो मारे जाते उनको हम 20 हजार रुपने देते हैं। ये गरीब हैं इसलिए आप इनको 20 हजार देते हैं। यह हर चीज में है। ट्रेन में अगर लोग मारे जायेंगे तो उनको 50 हजार भी नहीं मिलता या 50 हजार मिलता है और प्लेन में अगर लोग मारे जायेंगे, तो लाख, पांच लाख मिलता है। धनियों को ज्यादा मुआवजा मिलता है शायद उनके जीवन की कीमत ज्यादा है और गरीबों के जीवन की कीमत कम है, इसलिए हम लोग कम देते हैं? ऐसा ही लग रहा है। उसी तरह से परिवार वालों को पेंशन जो दी जाती है कहीं तो एक हजार रुपया महीना है, कहीं 400 रुपये महीना है और इन गरीबों के परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए यह जो डिसक्रिमिनेशन है, भेद-भाव है या अनियमिततायें हैं उसको सरकार दूर करे, इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

आखिरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मजदूर वहां से काम करने के लिए जाते हैं उस का एक कानून है इमीग्रेशन लेबर का और उसका भी उल्लघन होता

है। उसको कोई नहीं देखता है। अगर यह बात नहीं होती तो इन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो गया होता, पता रहता और उनको हम हर्जाना दे सकते थे। इसलिए इस बिंदु की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

अंतिम बात, मैं सरकार से चाहूंगा कि ड्यू प्रोटैक्शन उस एरिया में दें जिस एरिया में सुरक्षा की जरूरत है और उस और उस एरिया में जहां टेरोरिस्ट्स का ज्यादा उपद्रव है और सरकार किसी भी तरह की सुरक्षा देने में असमर्थ है, वहां इन लोगों पर रोक लगा दी जाए कि वहां पर ये लोग नहीं जायें और बाकी इलाके में काम करें। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : मैं भी मिश्रा जी से अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह गंभीर मामला है, गरीब मज़दूरों का मामला है इसलिए मैं भी अपने को एसोसिएट करता हूं और सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : शायद सरकार गरीबों का ख्याल करे और श्रीमुख से कुछ हो जाए?

उपसभाध्यक्ष (प्रो. चन्द्रेश पी. ठाकुर) : मैं इतना ही कहूंगा कि आप जो व्यवस्था दे रहे हैं उसमें यह नहीं होना चाहिए कि बिहार के लोग पंजाब में जाकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतजाम नहीं कर पायें, लेकिन हां, उनको सुरक्षा दी जाए इसके संबंध में सरकार जरूर जागरूक हो। जहां तक उनके इंश्योरेंस की बात है उसमें क्या किया जा सकता है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ जरूर जाना चाहिए। इंश्योरेंस में इंसान इंसान है, व्यक्ति व्यक्ति है, उसके परिवार के लिए उसकी जान की कीमत भी उतनी ही होती है। सरकार उस तरफ ध्यान दे और चाहे जनरल इंश्योरेंस करे या जो माइग्रेटरी लेबर एक्ट है उसमें बिल्ट इन इंश्योरेंस प्रीमियम हो। क्या रास्ता हो सकता है यह सरकार के दो मंत्री बैठे हैं, इस पर विचार करेंगे। लेकिन मुद्दा गंभीर है।

डा. अबरार अहमद खान (राजस्थान) मैं भी इससे अपने को एसोसिएट करता हूं।

Need to restore Telegraph Service in Chhota Udaipur in Gujarat

श्री राम सिंह राठवा (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान गुजरात के बड़ौदा जिला की छोटा उदयपुर तहसील की ओर दिलाना चाहता हूं। छोटा उदयपुर जो एक छोटा टाउन है और छोटा उदयपुर ही आस-पास के गांवों का एक तहसील का हैडक्वार्टर है। गुजरात सरकार ने छोटा उदयपुर को जिला बनाने की बात अभी-अभी चलायी जा रही है। वैसे लोकसभा मत विस्तार की हैसियत से बड़ौदा और छोटा उदयपुर अलग-अलग मत विस्तार है और छोटा उदयपुर रिजर्व कांस्टीटयुएंशी से आता है। छोटा उदयपुर महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ तहसील है। इर्द-गिर्द के ट्रायबल विस्तार में वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र है। वह देश के हर छोटे-बड़े शहर के साथ अलग-अलग व्यवसाय से जुड़ा है और खान जैसे उद्योग की दृष्टि से भी छोटा उदयपुर महत्व का केन्द्र बना हुआ है।

महोदय, कई वर्षों से छोटा उदयपुर में टेलीग्राम की सुविधा उपलब्ध थी, मगर पिछले कुछ महीनों से छोटा उदयपुर में टेलीग्राम नहीं मिलते हैं। पहले छोटा उदयपुर में सीधे टेलीग्राम मिलते थे और आसपास के छोटे-मोटे गांवों में भी टेलीग्राम तुरन्त मिल जाते थे। लेकिन अब छोटा उदयपुर आने वाला हर टेलीग्राम बड़ौदा तक आता है और बड़ौदा से ये डाक द्वारा छोटा उदयपुर आता है। यहां बजाय ज्यादा सुविधा मिलने के, जो सुविधा उपलब्ध थी वह भी छीन ली गयी है। जहां आज संसार में विज्ञान और टैक्नोलोजी का दिन-प्रतिदिन विकास हो रहा है वहीं हम पाषाण युग की ओर जा रहें हैं, ऐसा मुझे लगता है और व्यापार